भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4343

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी

4343. श्री टी. आर. बालू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवंबर, 2024 को तमिल डेयरी दिनामलार, चेन्नई में प्रकाशित समाचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी के कारण सरकार को 69,000 करोड़ रुपये का नुकसान और 2000 करोड़ रुपये का 'चावल और गेहूं' गायब की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस गंभीर और अभूतपूर्व अपराध में संलिप्त पाए गए अपराधियों को सजा दिलाने के लिए क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत संचालित होती है और इसका संचालन केंद्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

2/-

उक्त समाचार शीर्षक में उठान और वितरण को गलत तरीके से इंगित किया गया है। उठान से तात्पर्य राज्यों द्वारा केंद्रीय डिपो से उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा से है, जबकि वितरण से तात्पर्य इन अनाजों को लाभार्थियों तक पहुँचाने से है। उठान के आँकड़ों में पारगमन में स्टॉक, बफर आबंटन, परिचालन भंडार और ओडब्ल्यूएस (अन्य कल्याणकारी योजनाओं) के लिए स्टॉक भी शामिल है, जिन्हें तुरंत घरों में वितरित नहीं किया जाता है। इन अंतरों को ध्यान में न रखकर, रिपोर्ट का अनुमान मौलिक रूप से गलत हैं।

प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में राशन कार्ड/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशन कार्ड आधार संख्या से जुड़े हुए हैं। देश में लगभग सभी उचित दर दुकानों को शामिल करते हुए 5.41 लाख ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का संचालन किया जाता है। ये ई-पीओएस उपकरण वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करते हैं, जिससे सही लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत सक्षम होता है। लगभग 98% खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे अपात्र लाभार्थियों तक लीकेज कम हो रही है और सही लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित हो रहा है।

यदि कोई व्यक्ति टीपीडीएस (सी) आदेश, 2015 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंड का पात्र होगा। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

******